



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-221005
CG-DL-E-08082020-221005

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2335]
No. 2335]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2020/श्रावण 15, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2020/SHRAVANA 15, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त 2020

का.आ. 2634(अ).— मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 69(अ.), दिनांक 31 दिसम्बर, 2015, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या मंत्रालय के ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

मालाबार वन्यजीव अभयारण्य 74.22 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और केरल राज्य के कोझीकोडे जिला में क्यूइलेंडी तालुक के चक्कीट्टापारा और चेम्बनोदा राजस्व ग्रामों में 11° 30' और 11° 38' उत्तर अक्षांश और 75° 48' और 75° 50' पूर्व देशांतर के बीच स्थित है;

और, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट का भाग है, यह जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह नीलगिरि जैवमंडल रिज़र्व के अंतर्गत भी आता है और वायनाड हाथी रिज़र्व का भाग भी है। अभयारण्य की पहाड़ियों की कठोर स्थलाकृति प्रवणता ढाल 40 से 1506 मीटर तक है, जो पौधों और पशुओं की विविधता के लिए प्राथमिक कारण है। क्षेत्र का वायनाड पठार, खड़ी पहाड़ियों, गहरी घाटियों, आदि के साथ विलय होता है। उच्चता परिवर्तन के साथ छोटी पहाड़ियां बारहमासी जल स्रोत इसे वनस्पतियों और जीवजंतु की विविधता के लिए काल्पनिक वास बनाते हैं। क्षेत्र कई स्थानिक और विभिन्न पुनः अन्वेषित प्रजातियों और कुछ प्रजातियों को भी आश्रय प्रदान करता है। कक्कायम के वन, बाणा सुरमाला (2050 मीटर), वेल्लारीमाला (2100 मीटर), कुरीचयरमाला (1606 मीटर), कक्कानमाला (1456 मीटर), और वन्नाथीमाला (1505 मीटर), की अद्वितीय पर्वत प्रणालियों के साथ संलग्न है और इस तरह से दक्षिणी पश्चिमी घाटों में अद्वितीय स्थिति धारण करते हैं;

और, अभयारण्य क्षेत्र में कुट्टीडी नदी का जल क्षेत्र भी है। कक्कायम और पेरुवन्नामूडी के बीच बने जलाशय कोझीकोड जिले के निवासियों की जीवन रेखा है क्योंकि यह लाखों लोगों के लिए पीने का पानी का स्रोत है। मालाबार में एकमात्र जल विद्युत परियोजना से भी विद्युत उत्पन्न होती है। उरक्कुडी के सुरम्य बांध स्थल, अद्वितीय जलवायु, जैव-विविधता की समृद्धि और भव्य झरने अच्छी पारिस्थितिकी-पर्यटन क्षमता प्रदान करते हैं;

और, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट के संपूर्ण भाग में है और इसकी सुनिश्चित स्थलाकृतिक प्रवणता क्षेत्र 40 से 1506 मीटर तक है, इसकी विशेषताएं खड़ी ढाल पहाड़ी, गहरी घाटी, कच्ची भूमि आदि के साथ छोटी पहाड़ी और बारहमासी जल स्रोत हैं;

और, अभयारण्य में वनस्पतियों की उच्च विविधता की विशेषता है और क्षेत्र की वनस्पति पहाड़ी शीर्ष सदाबहार वनों से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों, अर्ध- सदाबहार वनों और आर्द्र पर्णपाती वनों तक भिन्न होती है। अभयारण्य में मुख्य वनस्पतियों में कुन्निवाका (*अल्बिजिया प्रोसेरा*), एज़िलमपला (*एलस्टोनिया स्कॉलरिस*), ईट्टी (*डालबर्गियालेटिफोलिया*), वेंथेक्कु (*लागोस्टोमिया लरंकेओलाटा*), टेक (*टेकटोना ग्रांडिस*), कन्निकोन्ना (*कैसिया फिस्टुला*), पेहेजू (*केरिया अरबोरिया*), पेप्पेर (*पिपेर निगरूम*), मुला (*बम्बूसा बम्बूसा*), बनाना (*मुसा पैराडिसिका*), मावु (*मंगिफेरा इंडिका*), कसुमावु (*आनाकार्डियम ऑस्किडेल*), थेंगो (*कोकोस नुकिफेरा*), पुली (*टमरिंडुस इंडिका*), मारुथ (*टर्मिनलिया पानिकुलाटा*), पलावय (*आर्टोकार्पस हेटरोफल्लुस*), माहावाका (*समानिअसामान*), चेमपारावाल्ली (*अमपेलोकिस्सुस इंडिका*), मुलुवेनगा (*ब्रिजेलिया रेटुसा*), अराना मराम (*पोलीथिया लोंगिफोलिया*), अरसु (*फिकस रेलिगिओसा*), अरायाल (*फिकस बंधालेंसिस*), कुडाम्पुली (*गार्सीनीयगुम्मी -गुट्टा*), इरांपाना (*करयो तौरेंस*), कवयंगु (*अरेका कटेचु*), मायलेल्लु (*वितेक्स अलटिसिमा*), कट्टुपुन्थु (*स्टाचयटरफेटा जमाइकेंसिस*), अरिप्पु (*लैंटाना कैमारा*), अमराथी (*ट्रेमा ओरिंटालिस*), चडाची (*ग्रेविया टिल्लिफोलिया*), वक्कानारुमारम (*स्टेकुलिया विल्लोसा*), चन्दनम (*सन्तालूम एल्बम*), कट्टापिटालावम (*मोरिंडा पुबेस्केंस*), कडमबु (*मित्रागयान परविफोलिया*), सूचीमुल्ला (*लक्सरा पवेट्टा*), मंजाकाडाम्बु (*हल्दिना कर्डीफोलीया*), नाइकाम्बम (*परुनस केयलानिका*), कोट्टा (*जिजिफस क्यलोपरुस*), कोडांगाल (*सेटेल्ला असिअटिका*), आदि उपलब्ध हैं;

और, सूचित की गई मालाबार वन्यजीव अभयारण्य की जीवजंतु विविधता में स्तनधारियों की 41 प्रजातियां, पक्षियों की 180 प्रजातियां, सरीसृपों की 35 प्रजातियां, उभयचरों की 38 प्रजातियां, मछलियों की 52 प्रजातियां, तितलियों और ड्रैगनफालइयों की 181 प्रजातियां, आदि शामिल है। मालाबार वन्यजीव अभयारण्य वायनाड हाथी रिज़र्व का भाग है और विविध जीवजंतु को आश्रय प्रदान करता है जिसमें संकटापन्न स्तनधारियों की प्रजातियां जैसे एशियाई हाथी (*एलिफस मैक्सिमस*), बाघ (*पैंथेरा टिगरिस*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रज्यूस*), तेंदुआ बिल्ली (*फेलिस बेंगालेंसिस*), चित्तीदार हिरण (*चीतल*) (*एक्सिस एक्सिस*), मुंजक (*मुंतजक*) हिरण (*मुंतिअकस मुंतजक*), पिसूरी (*इंडियन चैवरोतइन*) (*तरागुलुस मेमिन्ना*), बनबिलार (*फेलिस चाउस*), लघु पुच्छ वानर (*मकाका रदियता*), जंगल पाल्म गिलहरी (*फुनामबुलुस ट्रिस्टीटस*), मालाबार बृहत गिलहरी (*रतुफा इंडिका*), छोटा भारतीय फिल्ड पिसूरी (*मुस बूडुगा*), भारतीय क्रेस्टेड साही (*हिस्ट्रिक्स इंडिका*), ब्लैक नेप्पेड खरगोश (*लेपुस निगरिकोल्लिस*), लेस्सेर डॉग फेकड फ्रूट बैट (*कीनोप्टेरुस ब्राचोटिस*), भारतीय साल (*मानिस क्रैसिकाउडाटा*), ग्रे नेवला (*हर्पस्टेस एडवर्डसी*), छोटा भारतीय सिविट (*विवेरिकुला इंडिका*), बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ्रा*), आदि शामिल है;

और, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य से मुख्य पक्षियों, सरीसृपों, तितलियों, मछलियों, कीड़े- मकोड़ों आदि रेड हेडेड गिद्ध (*सरकोगयपस कालवुस*), वाइट रूमपेड गिद्ध (*गयपस बेंगालेंसिस*), इगयपतिअन गिद्ध (*नेओफरोन*

पेरकनोपटेरुस), हिमालयन ग्रिफ्फों (गयपस हिमालयेंसिस), किनेरेओउस गिद्ध (ऐगयपिउस मोनाचुस), ब्रह्मिनी कीट (हिहिअस्तुर इंडस), ग्रीन इम्पेरिअल-कबूतर (डुकुला अनेइया), एशियन कोइल (इयदयनामिस्कॉलोपासा), ग्रीन बगुला (अरदेया किनेरिया), एशियन ओपन बिल्ल- स्ट्रोक (अनास्टोमस ओस्किटनस), ब्लैक कीट (मिलवउस मिगरांस), मालाबार पैराकीट (पस्ट्राकुला कोलुम्बोइडेस), कोअस्टल डेय छिपकली (कनेमास्पिस लिट्टोरालिस), माउंटेन डेय छिपकली (कनेमास्पिस मॉंटिकोला), वायनाद डेय छिपकली (कनेमास्पिस वयनादेंसिस), निलगिरी कैलबैल (हेबिउस बेडुमिड), सामान्य भारतीय मॉनिटर (वारानुस बेंघालेंसिस), भारतीय पायथन (पायथन मोलुरुस), भारतीय रेट स्नेक (पतया मुकोसुस), कोबरा (नाजा नाजा), किंग कोबरा (ओपहीओफगस हन्नह), मालाबार पिट विपर (टरिमेरेउसरुस मालाबारिकस), मिनेरवारया मेढक (मिनेरवारया सह्यादरेंसिस), रूफेस्केंट मेढक (जकेराना रूफेस्केंस), ओरनाटे नारों-मूथेड मेढक (मिकरोहयला ओरनाटा), जेरदोन बस मेढक (पसेउदोफिलाउतुस वयनादेंसिस), मालाबार गलिडिग मेढक (रहकोफोरुस मालाबारिका), बकेर बारिल (बारिलिउस वाकेरी), इमेरालड बारील (बारिलिउस गटेंसिस), फिलामेंट बारब (डावकिंसिस फिलामेंटोसा), स्ट्रिपेड स्टोन सुकेर (गर्रा मुल्लया), मेलोन बारब (हलुदारिया मेलानामपयक्स), दक्षिणी बर्डविंग (टरोइडेस मिनोस), मालाबार रोज (पचलोओप्टा पंडियाना), मालाबार बंडेड स्वाल्लोवटैइल (पपिलिओ लिओमेडोन), मालाबार रावेन (पापिलिओ ड्राविडारुम), बुद्धा मोर (पपिलिओ बुद्धा), मालाबार टोरेट डार्ट (इयफाइया फरासेरी (लाइडलाव), कोरग कलुबतैल (गोमफिदिया कोडागुइंसिस), आदि को अभिलिखित किया गया है;

और, अभयारण्य में ही पैदा होने वाली कुछ प्रजातियों के साथ कई स्थानिक और भिन्न पुनःअन्वेषित प्रजातियों का वास है अभयारण्य में जिन स्थानिक प्रजातियों की सूचना दी गई है उसमें स्तनधारियों की 6 प्रजातियां, उभयचरों की 26 प्रजातियां, मछलियों की 21 प्रजातियां आदि शामिल है। अभयारण्य में दुर्लभ, संकटापन्न और लुप्तप्राय प्रजातियां केरिक्किजागु (अनाफयल्लुम विघटि), कक्कमुल्लू (कप्पारिस रेदेई), इरुम्बागा (होपिया परविफ्लोरा), आइयकम (होपिया पोंगा), चेरूकोरि (कियनोमेतरा बेडुमिड), कोरी (कियनोमेतरा ट्रावांकोरिका), चुराली (किनगीओदेन्द्रों पिन्नातुम), इटी (डालबेर्गिया लतीफोलीया), कन्नराम वाली (एस्पीडोप्टेरिस कनारेंसिस), चोरापाली (मायरीस्टिका मालाबारिका), वाल्मांचि (सियगियम स्टोसकिसि), कट्टुकुरुमुलागु (पिपेर बारबेरी), चेरूकुरावय (लक्सोरा मालाबारिका), कमबिलि (मेलिकोपे लुनु-अंकेंडा), चंदनम (सन्तालूम एल्वम), मालावयराम (प्रटेरोस्पेरमुम रेटिकुलातुम), चेमपारावाल्ली (अम्पेलाकिस्सूस इंडिका), निलगिरी पाल्म गिलहरी (फुनाम्बुलुस सुबलिनेअतुस), भारतीय साल (मानिस क्रैसिकाउडाटा), एशियाई हाथी (एलिफस मैक्सीमूस), बाघ (पैंथेरा टिगरिस), तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस), गौर (बोस गौरस), ब्लैक- हेडेड इबिस (थ्रेसकीऑर्निस मेलनोसेफला), मालाबार चितकबरी धनेश (अंधराकोकेरोस कोरोनाटस), मालाबार ग्रे धनेश (अकयकेरोस ग्रिसेउस), मालाबार बारबेत (पसिलापोगोन मालाबारिकस), मालाबार पाराकिट (पस्ट्रिकुला कोलुम्बोइडेस), वाइट-बेल्लिड ट्रीपिया (ड्रेडोकिट्टा लेउकोगास्टर), क्रिमसोन-ब्लैकड सनबर्ड (लेप्टोकोमा मिनिमा), वाइट-रूमपेड गिद्ध (गयपस बेंगालेंसिस), वायनाद डेय छिपकली (कनेमास्पिस वयनादेंसिस), निलगिरी कैलबैक (हेबिउस बेडुमेड), किंग कोबरा (ओपहीओफगस हन्नह), इंडियन राक पायथन (पायथन मूलयरुस), मिनेरवारया मेढक (मिनेरवारया सह्यादरेंसिस), रूफेस्केंट मेढक (जकेराना रूफेस्केंस), छोटा ट्री मेढक (रहकोफोरुस लैटरलिस), जोदीअक लोअच (मेसोनोइमाचेइलुस ट्रिअंगुलारिस), कनेरा स्विफ्ट (कलटोरिस कनाराइका), मालाबार टोरेट डार्ट (इयफाइया फरासेरि), कोरग क्लबटेल (गोमफिदिया कोडागुइंसिस), आदि उपलब्ध है;

और, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य कोझीकोडे जिला का प्रमुख जल क्षेत्र है और कई धारा प्रवाहों और नदिकाओं में अपवाहिका है जो अंत में दो प्रमुख नदियों को पोषित करती हैं। अभयारण्य में एक जलाशय है जो कि कोझीकोडे जिला में मुख्य जल-विद्युत पेयजल और सिंचाई परियोजना को संचालित करता है;

और, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य के कोझीकोडे जिला के मालाबार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.0

किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार मालाबार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.0 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 53.60 वर्ग किलोमीटर है। अभयारण्य की दक्षिणी सीमा के निकटतम स्थित हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना क्षेत्र और आदिवासी आवास के कारण पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार है। संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर विभिन्न दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार निम्नवत है:

दिशा	विस्तार
उत्तर	0.1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर
उत्तर - पूर्व	0.1 किलोमीटर से किलोमीटर
पूर्व	1 किलोमीटर
दक्षिण -पूर्व	1 किलोमीटर
दक्षिण	0 से 1 किलोमीटर
दक्षिण- पश्चिम	0.1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर
पश्चिम	0.1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर
उत्तर - पश्चिम	0.1 किलोमीटर

(2) मालाबार वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

सीमा (3)विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमांकन करते हुए मालाबार वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक**, **उपाबंध-IIख** और **उपाबंध-IIग** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और मालाबार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.**-(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;

- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) एलएसजीडी,
- (xii) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xiii) लोक निर्माण विभाग

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
- (v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-वैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से राज्य पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

पर्यटन (घ) महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

ड) (पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी विकास-शिक्षा और पारिस्थितिकी-पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) प्राकृतिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबन्धी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन) संरक्षण (अधिनियम, 1980) 1980का(69 , भारतीय वन अधिनियम, 1927) 1927का(16 , वन्यजीव) संरक्षण (अधिनियम 1972 , 1972)का(53 अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाइयां।	क)) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त ,2006 और 2012 की रिट याचिका (सी) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल ,2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित की जाएंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016, में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

3.	जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध अन्यथा उपबंधित के सिवाय (होंगे)।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध अन्यथा उपबंधित के सिवाय (होंगे)।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध अन्यथा उपबंधित के सिवाय (होंगे)।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध होंगे। (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करना अनुज्ञात होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।

		(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
14.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियम और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
17.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
19.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
20.	फार्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने को छोड़कर लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य जलाए जाने की सुविधा की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- प्रभावी निगरानी के लिए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पद
1.	जिला कलेक्टर, कोझीकोडे	पदेन अध्यक्ष;
2.	जिला कलेक्टर, वायनाड के प्रतिनिधि	सदस्य;
3.	विधान सभा के सदस्य, पेरम्बरा (यदि आवश्यक हो तो, विधानसभा अध्यक्ष, केरल से अनुमति सहित अन्य बातों के साथ साथ संगत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केरल राज्य सरकार के अधीन)	सदस्य;
4.	विधान सभा के सदस्य, बालुस्सेरी (यदि आवश्यक हो तो, अन्य बातों के साथ साथ विधान सभा अध्यक्ष, केरल से अनुमति सहित संगत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केरल सरकार के अधीन)	सदस्य;
5.	पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि, केरल सरकार	सदस्य;
6.	केरल सरकार द्वारा नामित प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य;

7.	केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला अधिकारी, कोझीकोडे	सदस्य;
8.	सदस्य राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य;
9.	भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य;
10.	प्रभागीय वनाधिकारी, कोझीकोडे	सदस्य- सचिव।

6. विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे।

[फा. सं. 25/98/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I क

केरल राज्य में मालाबार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

उत्तर:- उस बिंदु से आरंभ होती है जो कि पन्नीक्कोत्तूर रिज़र्व वन और कृत्तीयदी नदी के उत्तर पश्चिमी कोन के मिलकर बिंदु से पन्नीक्कोत्तूर रिज़र्व वन की उत्तरी सीमा पर पूर्व की ओर 4.124 किलोमीटर है और इसके बाद

पन्नीकोत्तूर रिज़र्व वन की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है यह कोझीकोडे वायनाड अंतर-जिला सीमा पहुंचती है।

पूर्व - इसके बाद सीमा कोझीकोड-वायनाड अंतर जिला सीमा के साथ दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाती है उस बिंदु तक जहां कोझीकोड- कोयीलेंडी तालुक सीमा अंतर जिला सीमा से मिलती है।

दक्षिण - इसके बाद सीमा कोझीकोडे – कोयीलेंड तालुक सीमा के साथ दक्षिण पश्चिमी दिशा में जाती है उस बिंदु तक जहां वी.एफ.सी इकाई सं: 5 (सर्वेक्षण सं.912 में) और वी.एफ.सी इकाई सं. 52 के बीट संख्या 27 में वनों की सामान्य सीमा तालुक सीमा को छूती है।

पश्चिम - इसके बाद सीमा वी.एफ.सी. इकाई सं.5 और वी.एफ.सी इकाई सं. 51 की बीट संख्या 27 में वनों की सामान्य सीमाओं के साथ उत्तरी दिशा की ओर जाती है जहां यह सर्वेक्षण संख्या 911 में काक्कयम जलाशय की सीमा पहुंचती है और इसके अतिरिक्त वी.एफ.सी. इकाई सं. 52 की बीट संख्या 27 और 31 में वनों की सामान्य सीमाओं और काक्कयम जलाशय के साथ जाती है यह काक्कयम वन को छूती है और इसके अतिरिक्त यह काक्कयम वन की दक्षिणी सीमा के साथ और धारा प्रवाह के साथ पश्चिमी दिशा में जाती है, और इसके बाद काक्कयम वन की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है यह ओनपूझा और पन्नीकोत्तूर रिज़र्व वन की दक्षिणी सीमा से मिलती है और इसके बाद इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीकेस रिसर्च की पट्टा भूमि के बाहर उत्तर पूर्वी कोण तक पहुंचती है और इसके बाद 1179 मीटर की दूरी के लिए 1960 स्फॉटवुड (एइनलथुस्पा) बागान से होते हुए उत्तर पूर्वी दिशा में जाती है यह पन्नीकोत्तूर रिज़र्व की उत्तरी सीमा पर आरंभिक बिंदु तक पहुंचती है।

उपाबंध I ख


ख: केरल राज्य में मालाबार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	सीमा आरंभ होकर 8 किलोमीटर की दूरी के लिए पन्नी कोत्तूर रिज़र्व वन की उत्तरी सीमा के साथ वलीयापुझा और मुथाट्टुपुझा के जंक्शन से 100 मीटर की चौड़ाई के साथ जाती है और इसके बाद 3.8 किलोमीटर की दूरी के पक्काथु विल्लेरी चुडुपुल्लन पुलीकीकन मालावरम के वी.एफ.सी. ईकाई सं. 4 और 54 के साथ 1 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ जाती है कोझीकोडे और वायनाड जिला के अंतर –जिला सीमा तक पहुंचती है।
उत्तर-पूर्व	उपर्युक्त बिंदु से, यह 4.0 किलोमीटर की दूरी से अंतर –जिला सीमा के पूर्व 1 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ दक्षिण पूर्व दिशा के साथ और इसके बाद 2.5 किलोमीटर की दूरी से वायनाड जिला में निजी संपदा के साथ 0.1 किलोमीटर की चौड़ाई और इसके बाद अंतर-जिला सीमा की पूर्वी भाग के साथ 8.7 किलोमीटर की दूरी के लिए 1 किलोमीटर चौड़ाई के साथ जाती है यह व्यथीरी और थामारस्सेरी तालुकों की तालुक सीमा से मिलती है।
पूर्व	पूर्वी सीमा 1 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ तालुक सीमाओं को पार करके 0.2 किलोमीटर की लंबाई के लिए जाती है।
दक्षिण पूर्व	उपर्युक्त बिंदु से सीमा 8.2 किलोमीटर की दूरी से थामारस्सेरी श्रेणी के वी.एफ.सी. ईकाई सं.26 और वी.एफ.सी. इकाई संख्या 33 से होते हुए थामारस्सेरी श्रेणी की बंडी वन सीमा के साथ 1 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ दक्षिण पश्चिमी दिशा में जाती है यह पुडुप्पडी के निकट पयोना कॉलोनी पहुंचती है।
दक्षिण	उपर्युक्त बिंदु से दक्षिणी सीमा 1 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ कट्टीपारा नगर की दिशा में 0.8 किलोमीटर जाती है।
दक्षिण पश्चिम	सीमा इसके बाद 12 किलोमीटर की दूरी से वी.एफ.सी. इकाई सं.52 बीट सं. 27, बीट सं. 29 और बीट सं.31 के बंडी वनों के साथ 1 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा में जाती है चक्कीट्टापारा ग्राम के सर्वे सं. 805 बंडी वन सीमा तक पहुंचती है और इसके बाद 1.2 किलोमीटर की दूरी से पश्चिम की ओर जाती है यह 0 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ चक्कीट्टापारा ग्राम के सर्वे सं 539 तक

	पहुंचती है। इसके बाद कुट्टीडी सिंचाई परियोजना जलाशय और वन पट्टा भूमि (केरल बागान निगम) और निजी अधिकृत भूमि और पट्टा भूमि (आई आई एस आर) से होते हुए 1 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ जाती है यह 24.5 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ चिल्लपेरुवन्ना तक पहुंचती है
पश्चिम	उपर्युक्त बिंदु से सीमा कोथाली फार्म से होते हुए और चनगरथ ग्राम से होते हुए 4 किलोमीटर की लंबाई के लिए उत्तर में जाती है
उत्तर पश्चिम	उपर्युक्त बिंदु से सीमा 2 किलोमीटर की दूरी के लिए पत्नीकोट्टुर कॉलोनी से होते हुए 0.1 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ उत्तर पूर्व जाती है जब तक आरंभिक बिंदु तक पहुंचती है।


उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ मालाबार वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र




उपाबंध-11ख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ मालाबार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ मालाबार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क : मालाबार वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	पहचाने गए मुख्य बिंदु	अवस्थान बिंदु	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	1	पन्नीकोट्टुर	11° 37' 25.60"	75° 48' 31.81"
2	2	चेम्बनोदा	11° 38' 12.87"	75° 51' 13.97"
3	3	अलामपारा	11° 37' 48.48"	75° 53' 21.25"
4	4	पूजहितोडे	11° 38' 17.86"	75° 54' 05.02"
5	5	करीनगल्ली	11° 37' 09.71"	75° 54' 15.19"
6	6	चूटुपारा	11° 36' 05.61"	75° 54' 42.84"
7	7	चूटुपारा	11° 35' 26.65"	75° 55' 47.31"
8	8	मानालवायाल	11° 34' 45.54"	75° 57' 23.05"
9	9	सुगंधागिरी	11° 33' 26.54"	75° 58' 00.60"
10	10	पाम्बाजहींजापारा	11° 32' 26.35"	75° 58' 54.82"
11	11	पयोना	11° 30' 05.55"	75° 56' 16.06"
12	12	संकरनपूजहा	11° 30' 46.59"	75° 54' 58.83"
13	13	संकरनपूजहा	11° 32' 02.83"	75° 55' 05.24"
14	14	दामसिटे	11° 33' 48.82"	75° 55' 08.60"
15	15	कक्कायाम कॉलोनी	11° 33' 12.19"	75° 53' 34.87"
16	16	चथानपारा	11° 33' 21.62"	75° 51' 41.44"
17	17	पय्यानीकोट्टा	11° 34' 16.06"	75° 51' 48.48"
18	18	पय्यानीकोट्टा	11° 34' 23.51"	75° 53' 11.59"
19	19	पय्यानीकोट्टा	11° 35' 34.74"	75° 52' 07.58"
20	20	सैथाप्पारा	11° 36' 32.73"	75° 52' 22.42"
21	21	चेंकोट्टाकोल्ली	11° 36' 46.05"	75° 51' 16.16"
22	22	वाट्टाक्कायाम	11° 36' 25.23"	75° 50' 03.30"
23	23	पेरूवान्नामुजाय	11° 36' 04.01"	75° 49' 18.94"
24	24	कूवापोयील	11° 36' 11.00"	75° 48' 37.61"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	पहचाने गए मुख्य बिंदु	अवस्थान बिंदु	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	1	मावाट्टोम	11° 38' 14.35"	75° 53' 16.28"
2	2	करीनगात्री	11° 38' 43.68"	75° 54' 12.69"
3	3	करीनगात्री	11° 37' 32.13"	75° 54' 32.69"
4	4	चूटुपारा	11° 36' 25.40"	75° 55' 02.27"
5	5	चूटुपारा	11° 35' 55.01"	75° 55' 59.20"
6	6	मानालवायाल	11° 35' 08.72"	75° 57' 41.50"
7	7	मादागिरी	11° 33' 38.64"	75° 58' 29.65"
8	8	उपेर लक्कीडी	11° 32' 33.01"	75° 59' 38.91"
9	9	काट्टीप्पारा	11° 29' 34.84"	75° 56' 20.69"
10	10	थालायाद	11° 30' 31.69"	75° 54' 26.14"
11°	11°	करिअथुमपरा	11° 32' 19.29"	75° 54' 42.81"
12	12	गणपतिकुन्नू	11° 33' 00.40"	75° 54' 57.38"
13	13	कक्कायम	11° 32' 58.70"	75° 54' 01.12"
14	14	थोनिक्कादावु	11° 32' 32.41"	75° 52' 14.65"
15	15	नारीनादा	11° 33' 31.56"	75° 51' 09.01"
16	16	पीसीके	11° 34' 59.02"	75° 51' 33.80"
17	17	मुथुकेद	11° 36' 06.17"	75° 51' 35.84"
18	18	मुथुकेद	11° 36' 22.76"	75° 51' 03.46"
19	19	पेरुवान्नामुजय	11° 35' 33.58"	75° 49' 23.10"
20	20	चंगरोथ	11° 36' 30.44"	75° 47' 52.91"
21	21	चेम्बनोदा	11° 37' 13.89"	75° 48' 08.07"

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ मालाबार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	ग्राम का नाम	तालुक	जिला	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	चेम्बनोदा	कोयीलेंडी	कोझीकोडे	11° 37' 54.19"	75° 49' 37.60"
2	चक्कीट्टापारा	कोयीलेंडी	कोझीकोडे	11° 34' 51.27"	75° 50' 47.32"
3	चांगरोथ	कोयीलेंडी	कोझीकोडे	11° 36' 33.07"	75° 48' 17.30"
4	पेराम्बरा	कोयीलेंडी	कोझीकोडे	11° 35' 59.46"	75° 48' 47.96"
5	कोराचुनडु	कोयीलेंडी	कोझीकोडे	11° 32' 48.91"	75° 53' 22.37"
6	कंथल्लाड	थामारस्सेरी	कोझीकोडे	11° 31' 06.91"	75° 54' 06.83"
7	पुडुप्पडी	थामारस्सेरी	कोझीकोडे	11° 30' 19.92"	75° 57' 49.14"
8	केदावूर	थामारस्सेरी	कोझीकोडे	11° 28' 47.85"	75° 56' 22.10"
9	कट्टीपारा	थामारस्सेरी	कोझीकोडे	11° 29' 34.84"	75° 56' 20.69"
10	थारीयोड	व्यथीरी	वायनाड	11° 35' 41.13"	75° 56' 47.82"
11	पोझुथाना	व्यथीरी	वायनाड	11° 32' 57.85"	75° 59' 15.76"
12	अचूरन	व्यथीरी	वायनाड	11° 32' 33.01"	75° 59' 38.91"
13	कुन्नाथीदावाका	व्यथीरी	वायनाड	11° 32' 57.85"	75° 59' 15.76"

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त :खनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उल्लेखपया मुख्य) । (प्रस्तुत करें उपाबंध में
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भूसंवेदी जोन -पारिस्थितिकी)अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार- । विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें। (वार
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 ,के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 ,के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । रूप में संलग्न विवरण एक पृथक उपाबंध के)करें।(
7. पर्यावरण 1986 ,अधिनियम (संरक्षण)की धारा के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार । 19
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th August, 2020

S.O. 2634(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 69 (E), dated 31st December, 2015, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, the Malabar Wildlife Sanctuary is spread in 74.22 square kilometres area and is situated between 11° 30' and 11° 38' North latitude and between 75° 48' and 75° 50' East longitude in the Chakkittapara and Chembanoda revenue villages of Quilandy taluk in Kozhikode District of Kerala State;

AND WHEREAS, Malabar Wildlife Sanctuary forms a part of the Western Ghats, a biodiversity hotspot. It also comes under the Niligiri Biosphere Reserve and also forms a part of the Wayanad Elephant Reserve. The sharp topographical gradient of the hills of Sanctuary ranging from 40 to 1506 m asl is the primary reason for the diversity of plants and animals. The areas merge with the Wayanad Plateau, steep hills, deep valleys, etc. With hillocks, perennial water sources combined with altitudinal variations makes it an ideal habitat for variety of flora and fauna. The area also supports several endemics and many rediscovered species and a few species. The forests of Kakkayam is contiguous with the unique mountain systems of Banasuramala (2050 m), Vellarimala (2100 m), Kurichyarmala (1606 m), Kakkanmala (1456 m) and Vannathimala (1505 m) and thereby occupy a unique position in the Southern Western Ghats;

AND WHEREAS, the Sanctuary area also constitutes the watersheds of Kuttiady River. The reservoirs intercepted at Kakkayam and Peruvannamuzhy are lifeline of the inhabitants in Kozhikode district as it is a source of water for drinking to millions of people. Electricity is also generated from the only hydro-electric project in Malabar. The picturesque dam site, unique climate, richness of biodiversity and gorgeous waterfalls of Urakkuzhi offers good eco-tourism potential;

AND WHEREAS, Malabar Wildlife Sanctuary is an integral part of the Western Ghats and has sharp topographical gradient ranging from 40 to 1506 metres characterised by steep hills, deep valleys, marshy lands etc. with hillocks, and has perennial water sources;

AND WHEREAS, the Sanctuary is characterised with high diversity of flora and the vegetation of the region varies from hill top evergreen forests to tropical evergreen forests, semi evergreen forests and moist deciduous forests. The major flora available in the Sanctuary are Kunnivaka (*Albizia procera*), ezhilampaala (*Alstonia scholaris*), eetti (*Dalbergia latifolia*), venthekku (*Lagerstomia lanceolata*), teak (*Tectona grandis*), kanikonna (*Cassia fistula*), pezhu (*Carreya arborea*), pepper (*Piper nigrum*), mula (*Bamboosa bamboos*), banana (*Musa paradisiaca*), maavu (*Mangifera indica*), kasumavu (*Aanacardium occidentale*), thengu (*Cocos nucifera*), puli (*Tamarindus indica*), maruth (*Terminalia paniculata*), plavu (*Artocarpus heterophyllus*), mazhavaaka (*Samaniasaman*), chemparavalli (*Ampelocissus indica*), mulluvenga (*Bridelia retusa*), arana maram (*Polyalthia longifolia*), arasu (*Ficus religiosa*), arayal (*Ficus banghalensis*), kudampuli (*Garciniagummi-gutta*), eeranpana (*Caryo taurens*), kavungu (*Areca catechu*), mylellu (*Vitex altissima*), kattupunnuthu (*Stachytarpheta jamaicensis*), arippu (*Lantana camara*), amarathi (*Trema orientalis*), chadachi (*Grewia tiliifolia*), vakkannarumaram (*Sterculia villosa*), chandanam (*Santalum album*), kattapitalavam (*Morinda pubescens*), kadambu (*Mitragyna parvifolia*), soochimulla (*Ixora pavetta*), manjakadambu (*Haldina cordifolia*), naikambagam (*Prunus ceylanica*), kotta (*Ziziphus xylopyrus*), kodangal (*Centella asiatica*), etc;

AND WHEREAS, the reported faunal diversity of Malabar Wildlife Sanctuary includes 41 species of mammals, 180 species of birds, 35 species of reptiles, 38 species of amphibians 52 species of fishes, 181 species of butterflies and dragonflies, etc. Malabar Wildlife Sanctuary is part of the Wayanad Elephant Reserve and supports diverse fauna including threatened mammal species such as Asian elephant (*Elephas maximus*), tiger (*Panthera tigris*), leopard (*Panthera pardus*), leopard cat (*Felis bengalensis*), spotted deer (chital) (*Axis axis*), barking (muntjac) deer (*Muntiacus muntjak*), mouse deer (Indian chevrotain) (*Tragulus meminna*), jungle cat (*Felis chaus*), bonnet macaque (*Macaca radiata*), jungle palm squirrel (*Funambulus tristriatus*), malabar giant squirrel (*Ratufa indica*), little Indian field mouse (*Mus booduga*), Indian crested porcupine (*Hystrix indica*), black napped hare (*Lepus nigricollis*), lesser dog faced fruit bat (*Cynopterus brachyotis*), Indian pangolin (*Manis crassicaudata*), grey mongoose (*Herpestes edwardsi*), small Indian civet (*Viverricula indica*), wild boar (*Sus scrofa*), etc;

AND WHEREAS, major birds, reptiles, butterflies, fishes, insects etc recorded from the Wildlife Sanctuary are red headed vulture (*Sarcogyps calvus*), white rumped vulture (*Gyps bengalensis*), Egyptian vulture (*Neophron percnopterus*), Himalayan griffon (*Gyps himalayensis*), cinereous vulture (*Aegyptus monachus*), brahminy kite (*Haliastur Indus*), green imperial-pigeon (*Ducula aenea*), Asian koel (*Eudynamis scolopacea*), grey heron (*Ardea cinerea*), Asian open bill-stork (*Anastomus oscitans*), black kite (*Milvus migrans*), Malabar parakeet (*Psittacula columboides*), coastal day gecko (*Cnemaspis littoralis*), mountain day gecko (*Cnemaspis monticola*), waynad day gecko (*Cnemaspis wynadensis*), nilgiri keelback (*Hebius beddomei*), common Indian monitor (*Varanus benghalensis*), Indian python (*Puthon molurus*), Indian rat snake (*Ptyas mucosus*), cobra (*Naja naja*), king cobra (*Ophiophagus hannah*), malabar pit viper (*Trimereurus malabaricus*), minervarya frog (*Minervarya sahyadrensis*), rufescent frog (*Zakerana rufescens*), ornate narrow-mouthed frog (*Microhyla ornata*), Jerdon's bush frog (*Pseudophilautus wynadensis*), malabar gliding frog (*Rhacophorus malabaricus*), baker's baril (*Barilius bakeri*), emerald baril (*Barilius gatensis*), filament barb (*Dawkinsia filamentosa*), striped stone sucker (*Garra mullya*), melon barb (*Haludaria melanampyx*), southern birdwing (*Troides minos*), Malabar rose (*Pachliopta pandiyana*), Malabar banded swallowtail (*Papilio liomedon*), Malabar raven (*Papilio dravidarum*), buddha peacock (*Papilio Buddha*), Malabar torrent dart (*Euphaea fraseri* (Laidlaw), coorg clubtail (*Gomphidia kodaguensis*), etc;

AND WHEREAS, the Sanctuary harbours several endemics and many re-discovered species with a few species occurring only within the Sanctuary. Endemic species reported from the Sanctuary includes 6 mammalian species, 26 species of amphibians, 21 species of fishes etc. The rare, threatened and endangered species available in the Sanctuary are keerikkizhangu (*Anaphyllum wightii*), kakkamullu (*Capparis rheedei*), irumbaga (*Hopea parviflora*), eyyakam (*Hopea ponga*), painimaram (*Vateria indica*), vellakasavu (*Drypetes wightii*), nellikkapuli (*Glochidion zeylanicum*), cherukoori (*Cynometra beddomei*), koori (*Cynometra travancorica*), churali (*Kingiodendron pinnatum*), eeti (*Dalbergia latifolia*), kannaram valli (*Aspidopterys canarensis*), chorapali (*Myristica malabarica*), vallamanchi (*Syzygium stocksii*), kattukurumulagu (*Piper barberi*), cherukuravu (*Ixora malabarica*), kambili (*Melicope lunu-ankenda*), chandanam (*Santalum album*), malayuram (*Pterospermum reticulatum*), chemparavalli (*Ampelocissus indica*), nilgiri palm squirrel (*Funambulus sublineatus*), Indian pangolin (*Manis crassicaudata*), Asian elephant (*Elephas maximus*), tiger (*Panthera tigris*), leopard (*Panthera pardus*), gaur (*Bos gaurus*), black-headed ibis (*Threskiornis melanocephala*), Malabar pied hornbill (*Anthracoceros coronatus*), Malabar grey hornbill (*Ocyrceros griseus*), Malabar barbet (*Psilopogon malabaricus*), Malabar parakeet (*Psittacula columboides*), white-bellied treepie (*Dendrocitta leucogaster*), crimson-backed sunbird (*Leptocoma minima*), white-rumped vulture (*Gyps bengalensis*), waynad day gecko (*Cnemaspis wynadensis*), nilgiri keelback (*Hebius beddomei*), king cobra (*Ophiophagus hannah*), Indian rock python (*Python molurus*), minervarya frog (*Minervarya sahyadrensis*), rufescent frog (*Zakerana rufescens*), small tree frog (*Rhacophorus lateralis*), zodiac loach (*Mesonoemacheilus triangularis*), canara swift (*Caltoris canaraica*), Malabar torrent dart (*Euphaea fraseri*), coorg clubtail (*Gomphidia kodaguensis*), etc;

AND WHEREAS, Malabar Wildlife Sanctuary is the major watershed in the district of Kozhikode and drains in to several streams and rivulets which finally feeds two major rivers. The Sanctuary has a reservoir which in turn feeds major hydro-electric, drinking water and irrigation project in Kozhikode district;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Malabar Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological,

environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 1.0 kilometre around the boundary of Malabar Wildlife Sanctuary, in Kozhikode district in the State of Kerala as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 1.0 kilometre around the boundary of Malabar Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 53.60 square kilometres. *Zero extent of Eco-sensitive Zone is due to Hydro-electric project area and Tribal settlements are situated adjoining to southern boundary of Sanctuary.* Extent of Eco-sensitive Zone at different direction around the protected area are:

Direction	Extents
North	0.1 km to 1 km
North - East	0.1 km to 1 km
East	1 km
South - East	1 km
South	0 to 1km
South - West	0.1 km to 1 km
West	0.1 km to 1 km
North - West	0.1 km

- (2) The boundary description of Malabar Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
- (3) The maps of the Malabar Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB and Annexure-IIC**.
- (4) List of geo-coordinates of the boundary of Malabar Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III**.
- (5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
- Environment;
 - Forest and Wildlife;
 - Agriculture;
 - Revenue;

- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panchayati Raj;
- (xi) LSGD,
- (xii) Kerala State Pollution Control Board and
- (xiii) Public Works Department.

- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

- (8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.-** Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

- 5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	The District Collector, Kozhikode	Chairman, ex officio
(ii)	Representative of District Collector, Wayanad	Member;
(iii)	The Member of Legislative Assembly, Perambra (Subject to the State Government of Kerala obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Kerala, if required)	Member;
(iv)	The Member of Legislative Assembly, Balussery (Subject to the State Government of Kerala obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Kerala, if required)	Member;
(v)	Representative of the Department of Environment, Government of Kerala	Member;
(vi)	Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(vii)	Kerala State Pollution Control Board, District Officer, Kozhikode	Member;
(viii)	Member State Biodiversity Board	Member;
(ix)	Representative of Ministry of Environment and Forests Government of India	Member;
(x)	The Divisional Forest Officer, Kozhikode	Member-Secretary.

- 6. Terms of reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/98/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I A

A. BOUNDARY DESCRIPTION OF MALABAR WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE KERALA

North: - Starting from a point which is 4.124 kilometer towards east on the northern boundary of Pannikkottur Reserve Forest from the meeting point of the of North western corner of Pannikkottur Reserve Forests and Kuttiady river and then proceeds towards east along the northern boundary of the Pannikkottur Reserve Forests till it reaches the Kozhikode – Wayanad inter-district boundary.

East: - Thence the boundary proceeds generally towards south and in south – east direction along the Kozhikode – Wayanad inter-district boundary till the point where the Kozhikode - Koyilandy taluk boundary meets the inter - district boundary.

South: - Thence the boundary proceeds in a south westerly direction along the Kozhikode- Koyilandy taluk boundary till the point where the common boundaries of forests in VFC item No: 5 (in Survey No: 912) and bit number 27 of VFC item No 52 touches the taluk boundary.

West: - Thence the boundary proceeds towards northern direction along the common boundaries of the forest in VFC item No: 5 and in bit numbers 27 of VFC Item No 51 till it reaches the boundary of Kakkayam reservoir in Survey No 911 and further proceeds along the common boundary of forests in bit numbers 27 and 31 of VFC Item No 52 and the Kakkayam reservoir till it touches the Kakkayam Forest and further it proceeds in a western direction along southern boundary of Kakkayam forest, and along the stream and then proceeds further along western boundary of Kakkayam Forest till it meets Onipuzha and the southern boundary of Pannikkottur RF and then proceeds towards north western direction along the eastern boundary of the land leased out to Indian Institute of Spices Research till it reaches north eastern corner of the land leased out to Indian Institute of Spices Research and then proceeds in north eastern direction through 1960 softwood (*Ailanthus*spp) plantation for distance of 1179 meters till it reaches the starting point on the northern boundary of the Pannikkottur Reserve Forest.


ANNEXURE- I B

**B. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MALABAR WILDLIFE
SANCTUARY IN THE STATE KERALA**

North	Boundary starts with 100 m width from the junction of Valiyapuzha and Muthattupuzha proceeding along the northern boundary of Pannikottur Reserve Forest for a distance of 8 km and then 1 km width along the vested forest VFC Item Nos. 4 and 54 of Pakkathu Villeri Chudupullan Pulikikan Malavaram up to a distance of 3.8 km till the inter district boundary of Kozhikode and Wayanad district.
North- East	From the above point, it proceeds along south east direction with a width of 1 km east of the inter-district boundary up to a distance of 4.0 km, and then 0.1 Km width along the private estates in Wayanad district up to a distance of 2.5 km and then 1 km width for a distance of 8.7 km along the eastern side of inter district boundary till it meets the taluk boundary of Vythiri and Thamarassery taluks .
East	Eastern Boundary runs for a length of 0.2km crossing the taluk boundaries with a width of 1km.
Sout East	From the above point the boundary runs in a south westerly direction with 1 km width along the vested forest boundary of Thamarassery range through VFC Item No. 26 and VFC Item No. 33 of Thamarassery Range up to a distance of 8.2 km till it reaches the Payona Colony near Puduppady.
South	From the above point the southern boundary proceeds 0.8 km in the direction of Kattippara town with a width of 1km.
South West	The boundary thence proceeds in north and north-west direction for with a width of 1 Km along the Vested Forests of VFC Item No. 52 bit No. 27 , bit No. 29 and bit No. 31 up to a distance of 12 km till the vested forest boundary reaches SY. No. 805 of Chakkittapara village and thence proceeds towards west up to distance of 1.2 Km till it reaches the Sy. 539 of Chakkittapara village with a width of 0 Km. Thereafter proceeds with a width of 1 km through the Kuttiady Irrigation Project Reservoir and forest lease land (Plantation Corporation of Kerala) and private occupied land and through lease land (IISR) and till it reaches the Pillaperuvanna with a total length of 24.5km.
West	From the above point the boundary Proceeds north for a length of 4 km through the Koothali farm and through Changaroth village.
North West	From the above point the boundary proceeds north East with a width of 0.1km through the Pannikottur colony for a distance of 2 km till it reaches the starting point.


ANNEXURE- IIA

**LOCATION MAP OF MALABAR WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE
ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**




ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MALABAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MALABAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF MALABAR WILDLIFE SANCTUARY

Sl No.	Identification of points	Location of points	Latitude (N)	Longitude (E)
1	1	Pannikottur	11° 37' 25.60"	75° 48' 31.81"
2	2	Chembanoda	11° 38' 12.87"	75° 51' 13.97"
3	3	Alampara	11° 37' 48.48"	75° 53' 21.25"
4	4	Poozhithode	11° 38' 17.86"	75° 54' 05.02"
5	5	Karinganni	11° 37' 09.71"	75° 54' 15.19"
6	6	Chootupara	11° 36' 05.61"	75° 54' 42.84"

7	7	Chootupara	11° 35' 26.65"	75° 55' 47.31"
8	8	Manalvayal	11° 34' 45.54"	75° 57' 23.05"
9	9	Sugandagiri	11° 33' 26.54"	75° 58' 00.60"
10	10	Pambazhinjapara	11° 32' 26.35"	75° 58' 54.82"
11	11	Payona	11° 30' 05.55"	75° 56' 16.06"
12	12	Sankaranpuzha	11° 30' 46.59"	75° 54' 58.83"
13	13	Sankaranpuzha	11° 32' 02.83"	75° 55' 05.24"
14	14	Damsite	11° 33' 48.82"	75° 55' 08.60"
15	15	Kakkayam colony	11° 33' 12.19"	75° 53' 34.87"
16	16	Chathanpara	11° 33' 21.62"	75° 51' 41.44"
17	17	Payyanikotta	11° 34' 16.06"	75° 51' 48.48"
18	18	Payyanikotta	11° 34' 23.51"	75° 53' 11.59"
19	19	Payyanikotta	11° 35' 34.74"	75° 52' 07.58"
20	20	Seethappara	11° 36' 32.73"	75° 52' 22.42"
21	21	Chenkottakolli	11° 36' 46.05"	75° 51' 16.16"
22	22	Vattakkayam	11° 36' 25.23"	75° 50' 03.30"
23	23	Peruvannamuzhy	11° 36' 04.01"	75° 49' 18.94"
24	24	Koovapoyil	11° 36' 11.00"	75° 48' 37.61"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

SI No.	Identification of points	Location of points	Latitude (N)	Longitude (E)
1	1	Mavattom	11° 38' 14.35"	75° 53' 16.28"
2	2	Karinganni	11° 38' 43.68"	75° 54' 12.69"
3	3	Karinganni	11° 37' 32.13"	75° 54' 32.69"
4	4	Chootupara	11° 36' 25.40"	75° 55' 02.27"
5	5	Chootupara	11° 35' 55.01"	75° 55' 59.20"
6	6	Manalvayal	11° 35' 08.72"	75° 57' 41.50"
7	7	Madagiri	11° 33' 38.64"	75° 58' 29.65"
8	8	Upper Lakkidi	11° 32' 33.01"	75° 59' 38.91"
9	9	Kattippara	11° 29' 34.84"	75° 56' 20.69"
10	10	Thalayad	11° 30' 31.69"	75° 54' 26.14"
11°	11°	Kariathumpara	11° 32' 19.29"	75° 54' 42.81"
12	12	Ganapathikunnu	11° 33' 00.40"	75° 54' 57.38"
13	13	Kakkayam	11° 32' 58.70"	75° 54' 01.12"
14	14	Thonikkadavu	11° 32' 32.41"	75° 52' 14.65"
15	15	Narinada	11° 33' 31.56"	75° 51' 09.01"
16	16	PCK	11° 34' 59.02"	75° 51' 33.80"
17	17	Muthukad	11° 36' 06.17"	75° 51' 35.84"
18	18	Muthukad	11° 36' 22.76"	75° 51' 03.46"
19	19	Peruvannamuzhy	11° 35' 33.58"	75° 49' 23.10"
20	20	Changaroth	11° 36' 30.44"	75° 47' 52.91"
21	21	Chembanoda	11° 37' 13.89"	75° 48' 08.07"

ANNEXURE –IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF MALABAR WILDLIFE

Sl. No	Name of Village	Taluk	District	Latitude (N)	Longitude (E)
1	Chembanoda	Koyilandy	Kozhikode	11° 37' 54.19"	75° 49' 37.60"
2	Chakkittapara	Koyilandy	Kozhikode	11° 34' 51.27"	75° 50' 47.32"
3	Changaroath	Koyilandy	Kozhikode	11° 36' 33.07"	75° 48' 17.30"
4	Perambra	Koyilandy	Kozhikode	11° 35' 59.46"	75° 48' 47.96"
5	Koorachundu	Koyilandy	Kozhikode	11° 32' 48.91"	75° 53' 22.37"
6	Kanthallad	Thamarassery	Kozhikode	11° 31' 06.91"	75° 54' 06.83"
7	Puthupadi	Thamarassery	Kozhikode	11° 30' 19.92"	75° 57' 49.14"
8	Kedavoor	Thamarassery	Kozhikode	11° 28' 47.85"	75° 56' 22.10"
9	Kattippara	Thamarassery	Kozhikode	11° 29' 34.84"	75° 56' 20.69"
10	Thariyod	Vythiri	Wayanad	11° 35' 41.13"	75° 56' 47.82"
11	Pozhuthana	Vythiri	Wayanad	11° 32' 57.85"	75° 59' 15.76"
12	Achooranam	Vythiri	Wayanad	11° 32' 33.01"	75° 59' 38.91"
13	Kunnathidavaka	Vythiri	Wayanad	11° 32' 57.85"	75° 59' 15.76"

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.